15 मार्च, 2013 को कमरा नंबर 47, उद्योग भवन में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 57वीं बैठक के लिए एजेंडा

मद संख्या 57.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	एसजीआर*	आवेदन की स्थिति
(i)	मैसर्स यूपी इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	चक गजारिया फार्म, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	40	हां	हां	नया

*राज्य सरकार की सिफारिश

मद संख्या 57.2 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) जे मातादी फ्री ट्रेड जोन प्राइवेट लिमिटेड जो मन्नूर एवं वलारपुरम गांव, श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में एफटीडब्ल्यूजेड है, में प्रचालनों की स्थापना के लिए सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स वेजल वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड से आवेदन

84.775 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एफटीडब्ल्यूजेड अधिसूचित हो गया है। मैसर्स वेजल वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड ने उपर्युक्त एफटीडब्ल्यूजेड में निम्नलिखित के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है** :

(i) **डिजाइन, विकास, प्रबंधन एवं निर्माण सहित अतिरिक्त वेयरहाउस का विकास**
(ii) **मौजूदा वेयरहाउस का प्रचालन, अनुरक्षण, अनुकूलन तथा विस्तार**
(iii) **सीवेज, सड़क, लाइटिंग तथा जलापूर्ति सहित सभी अवसंरचना सुविधाओं का प्रावधान**

सह विकासक के 19.77 **एकड़ के प्रस्तावित क्षेत्रफल में**

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 01 **फरवरी**, 2013 **भी उपलब्ध कराया गया है। निष्पादित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रारूप पट्टा करार भी उपलब्ध कराया गया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) ग्राम ग्वाल पहाड़ी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स कैंटोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स किंग्स कैनन इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

19.3028 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। मैसर्स किंग्स कैनन इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड ने प्रसंस्करण क्षेत्र में** 3.648 **एकड़ के क्षेत्रफल में** 741036 **वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्रफल में अवसंरचना के विकास और / या प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।** 30 **मार्च**, 2012, 06 **जुलाई**, 2012 **और** 23 **नवंबर**, 2012 **को आयोजित बैठकों में अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया गया। पिछली बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निम्नानुसार निदेश दिया** :

"सीबीडीटी का प्रतिनिधि विकास आयुक्त, एनएसईजेड से प्राप्त रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था तथा प्रस्तावित पट्टा किराया की मात्रा, पट्टा करार की अवधि आदि की दृष्टि से वर्तमान प्रस्ताव पर आपत्ति की। अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर सीबीडीटी द्वारा उठाई गई आपत्तियों को नोट किया तथा उनके इस विरोध को स्वीकार किया कि मामले की और जांच करने की आवश्यकता है और इसलिए प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।"

विकास आयुक्त, नोएडा ने विकासक और सह विकासक के बीच किए गए संशोधित सह विकासक करार दिनांक 15 फरवरी 2013 को यह कहते हुए अग्रेषित किया है कि पट्टा योग्य निर्मित क्षेत्र के लिए पट्टा किराया 61.43 रुपए वर्गफीट से घटाकर 36 रुपए वर्गफीट कर दिया गया है तथा भूमि के लिए नियत पट्टा किराया हर तीसरे वर्ष के अंत में वृद्धि के साथ 2.50 लाख रुपए प्रति माह दर्शाया गया है। इसकी वजह से भूमि के लिए नियत पट्टा किराया हर तीसरे वर्ष के अंत में 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 61 लाख रुपए प्रतिवर्ष से घटकर 30 लाख रुपए प्रतिवर्ष हो गया है। पट्टा अवधि भी 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष कर दी गई है। निष्पादित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रारूप पट्टा करार भी उपलब्ध कराया गया है (अनुबंध 1)।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 57.3 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) एसईजेड में दूसरा प्रवेश / निकास द्वार प्रदान करने के लिए मैसर्स डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड जो देवुनीपालावालसा, रणस्थलम मंडल, श्रीकाकुलम जिला, आंध्र प्रदेश में फर्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, का प्रस्ताव

100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 11 नवंबर, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने बताया है कि इस समय एसईजेड में केवल एक प्रवेश / निकास द्वार है जिसके माध्यम से वाहनों और यात्रियों के सभी मूवमेंट हो रहे हैं, जो संकीर्ण है तथा इसकी वजह से भारी वाहन ट्रैफिक का मूवमेंट मुश्किल हो रहा है।

विकासक ने आवक एवं जावक वाहनों के फ्री मूवमेंट के लिए तथा किसी आपात स्थिति में सेफ्टी प्वाइंट को ध्यान में रखते हुए भी एक और प्रवेश / निकास द्वार का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव किया है। प्रसंस्करण क्षेत्र जिसके लिए अनुमोदन मांगा गया है, में गतिविधियों का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) / क्षमता (मेगावाट में)
(1)	(2)	(3)	(40	(5)
1.	कोयला / राख / धान की भूसी / एचएसडी सहित सभी सामग्रियों के मूवमेंट के लिए एसईजेड के उत्तर दिशा में दूसरा गेट प्रदान करना	एक	लागू नहीं	लागू नहीं

साइट का निरीक्षण करने के बाद विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने टिप्पणी की है कि मौजूदा गेट के लिए इंट्री (ब्रिज) बहुत सकरा है तथा प्रचालनों में वृद्धि होने पर भारी वाहनों का मूवमेंट मुश्किल होगा। इस प्रकार न केवल भारी वाहनों के मूवमेंट के लिए अपितु सुरक्षा की दृष्टि से भी एसईजेड में दूसरे प्रवेश / निकास द्वार की आवश्यकता है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(ii) एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालन अर्थात 100 कमरों वाले होटल (चरणों में 3-4 स्टार कटेगरी) के निर्माण के अनुमोदन के लिए मैसर्स श्री सिटी प्राइवेट लिमिटेड जो सत्यावेदु मंडल, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश में बहु उत्पाद्र एसईजेड है, का प्रस्ताव

1088.581 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक ने एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) / क्षमता (मेगावाट में)
(1)	(2)	(3)	(40	(5)
1.	3 अथवा 4 स्टार होटल	चरणों में 100 कमरे	30 वर्गमीटर का कमरा + 30 वर्गमीटर (वाणिज्यिक क्षेत्र, रेस्टोरेंट, बिजनेस सेंटर आदि)	6000

मामले की जांच करने के बाद विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुमोदन करने के लिए इसकी सिफारिश की है (अनुबंध 1क)।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iii) अधिकृत प्रचालनों के अनुमोदन के लिए मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड जो कट्टूपल्ली गांव, पोन्नेरी तालुक, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में भारी इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, का प्रस्ताव

607.87 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 4 दिसंबर, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) / क्षमता (मेगावाट में)
(1)	(2)	(3)	(40	(5)
1.	कार पार्किंग के साथ आवासीय परिसर (ग्राउंड प्लस 8 में 1 और 2 बीएचके)	100	100	10000
2.	सर्विस एरिया के साथ आवासीय परिसर (ग्राउंड प्लस 5 में ट्रांजिट हाउस तथा जीईटी हॉस्टल)	100	60	6000
3.	चिकित्सा / स्वास्थ्य केन्द्र	1	800	800
4.	ग्राउंड प्लस 7 में आवासीय परिसर (शिपक्रू ऑफिसर्स हॉस्टल)	25	116	2900
5.	ग्राउंड प्लस +2 में आवासीय	18	66	1200

	परिसर (शिपक्रू ऑफिसर्स एकमोडेशन)			

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 57.4 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) एसईजेड में भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं संबद्ध सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में मैसर्स फ्लेक्सट्रोनिक्स टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

101.21 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक ने 25.07 हेक्टेयर भूमि को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 76.14 हेक्टेयर हो जाएगा।

विकासक ने आंशिक विमुक्तीकरण के लिए आवेदन किया है ताकि नए व्यवसाय माडल के लिए इसे डीटीए में परिवर्तित किया जा सके।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने प्राप्त किए गए सभी लाभों को वापस करने तथा राज्य सरकार से सहमति के अधीन विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) ग्राम ओगनज, तालुक दसक्रोई, जिला अहमदाबाद, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स कलिका कंस्ट्रक्शन एंड इंप्रेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक मैसर्स कंबाइंड रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड का अपने प्रचालनों के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए अनुरोध

मैसर्स कलिका कंस्ट्रक्शन एंड इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम में 10.43.10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 8 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था।

इसके बाद मैसर्स कंबाइन रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड को 6187 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में एसईजेड में अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25 जून 2009 को सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया था।

इसके बाद सह विकासक ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 28 जनवरी 2011 के माध्यम से विकास के लिए 2166 वर्गमीटर के अतिरिक्त क्षेत्रफल के लिए मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया। 22 जुलाई, 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 47वीं बैठक के समक्ष अनुरोध को रखा गया था। अनुमोदन बोर्ड ने निम्नानुसार निदेश दिया :

"अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि सह विकासक करार दिनांक 28 अप्रैल 2010 के अनुसार शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूखंड 999 वर्ष की अवधि के लिए सह विकासक को पट्टा पर दिया जा रहा है। चूंकि इतनी लंबी अवधि के लिए पट्टा का अभिप्राय भूमि की बिक्री से है जो एसईजेड नियमावली के तहत अनुमत नहीं है इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड नियमावली के अनुसरण में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सह विकासक को अवसर प्रदान करने के लिए प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।"

अब विकासक ने पुन: मूल विलेख में सुधार विलेख दिनांक 10 सितंबर 2012 प्रस्तुत करके 2166 वर्गमीटर के अतिरिक्त क्षेत्रफल के विकास के लिए अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है जिसमें पट्टा की अवधि 99 वर्ष है (अनुबंध 3)।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने सह विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 57.5 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) वल्लेनचेरी गांव, गुडुवनचेरी पोस्ट, चेंगलपेट तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 11.09 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एलएंडटी चेन्नई प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जो एलएंडटी अरुण एक्सेलो आईटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का विकासक है) का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड 11.09 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स अरुण एक्सेलो आईटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के नाम में 1 मई 2007 को अधिसूचित हो गया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड के माध्यम से मैसर्स एलएंडटी चेन्नई प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने एलएंडटी अरुण एक्सेलो आईटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड से नाम बदलकर एलएंडटी चेन्नई प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। वाणिज्य विभाग द्वारा इसकी जांच की जा रही है।

अब मैसर्स एलएंडटी चेन्नई प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने आईटी / आईटीईएस सेक्टर में वैश्विक मंदी, स्थूल आर्थिक परिदृश्य में सामान्य मंदी, जीडीपी तथा आईटी / आईटीईएस सेक्टर के विकास की धीमी गति, मैट और डीडीटी लगाए जाने के आधार पर एसईजेड को विमुक्त करने का अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने नाम में परिवर्तन, एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के तहत प्राप्त किए गए करों एवं लाभों को वापस करने की शर्त के अधीन अनुरोध की सिफारिश की है।

एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) 109-59-07 के क्षेत्रफल में अपने अधिसूचित एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स वेलस्पन अंजार एसईजेड लिमिटेड जो अंजार, गुजरात में टेक्सटाइल एवं गारमेंट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, से अनुरोध

109-59-07 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 17 सितंबर, 2007 को अधिसूचित हो गया है।

अब विकासक ने इस आधार पर एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है कि यह लाभप्रद नहीं है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ अनुरोध की सिफारिश की है :

(i) एसईजेड में यूनिटों को डिबांड किया गया है।
(ii) प्राप्त किए गए कर / ड्यूटी छूट के समतुल्य राशि सरकारी खाते में जमा की गई है।

एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 57.6 : औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) गुड़गांव, हरियाणा में बायोटेक के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स बेस्ट ऑन हेल्थ लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

गुड़गांव, हरियाणा में 40.78 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बायोटेक के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स बेस्ट ऑन हेल्थ लिमिटेड को एलओए दिनांक 27 फरवरी 2009 के माध्यम से औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। अब विकासक ने औपचारिक मंजूरी को वापस लेने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने बताया है कि वर्तमान आर्थिक परिदृश्य तथा एसईजेड विकासक / यूनिट पर मैट तथा डीडीटी लगाए जाने के कारण वे परियोजना को लागू करने की स्थिति में नहीं हैं।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने विचारार्थ प्रस्ताव अग्रेषित किया है।

औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(ii) चाकन, जिला पुणे, महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी को वापस लेना

एलओए दिनांक 26 जुलाई, 2007 के माध्यम से चाकन, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। अब विकासक ने औपचारिक मंजूरी को वापस लेने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने बताया है कि प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर नीति के लागू किए जाने तथा वैश्विक मंदी के कारण परियोजना का कार्यान्वयन नहीं किया जा सकता है। इसलिए एमआईडीसी ने परियोजना को रद्द करने का निर्णय लिया है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने प्रस्ताव को अग्रेषित किया है।

औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 57.7 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 6[2](2)(क) के अनुसरण में एलओए 3 साल की अवधि के लिए वैध है। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार पहला विस्तार प्रदान करने के लिए उनका अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन के लिए उसके समक्ष रखा जाना चाहिए था। तथापि, 19 सितंबर 2011 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय में यह तय किया गया था कि औपचारिक अनुमोदनों की पहली और दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोधों की जांच की जाएगी तथा वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर निर्णय लिए जाएंगे।

मद संख्या 57.7.1: तीसरे साल के बाद औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) उत्तरपारा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स बंगाल श्रीराम हाइटेक सिटी प्राइवेट लिमिटेड से एलओए की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 14 **जुलाई** 2008 **को प्रदान किया गया था।** 24.29 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 24 **अप्रैल**, 2009 **को अधिसूचित किया गया था।**

एसईजेडी के एलओए की वैधता अवधि 14 **जुलाई** 2011 **को समाप्त हो गई। विकासक ने निम्नलिखित आधार पर इस तिथि के बाद वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया है** :

(i) **भूमि अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुई है।**
(ii) **भूमि का परिवर्तन भी पूरा नहीं हुआ है।**
(iii) **पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रतीक्षा है।**

विकास आयुक्त, **एफएसईजेड ने सूचित किया है कि राज्य सरकार ने एसईजेड अधिनियम को निरस्त कर दिया है। तथापि**, **उन्होंने दो साल की अवधि के लिए अर्थात** 13 **जुलाई** 2013 **तक एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए इस शर्त के साथ अनुमोदन बोर्ड की इस बैठक में चर्चा के लिए सिफारिश की है कि अग्रेतर विस्तार की सिफारिश नहीं की जाएगी।**

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 57.7.2: तीसरे साल के बाद औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) अदिबाटला गांव, इब्राहिमपट्टनम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स काग्नीजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 7 **जनवरी** 2008 **को प्रदान किया गया था।** 16.19 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 9 **जून**, 2008 **को अधिसूचित किया गया था।**

एसईजेडी के एलओए की वैधता अवधि 14 **जुलाई** 2011 **को समाप्त हो गई। विकासक ने निम्नलिखित आधार पर इस तिथि के बाद वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया है** :

(i) **भूमि अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुई है।**
(ii) **भूमि का परिवर्तन भी पूरा नहीं हुआ है।**
(iii) **पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रतीक्षा है।**

विकास आयुक्त, **वीएसईजेड ने सूचित किया है कि राज्य सरकार ने एसईजेड अधिनियम को निरस्त कर दिया है। तथापि**, **उन्होंने दो साल की अवधि के लिए अर्थात** 13 **जुलाई** 2013 **तक एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए इस शर्त के साथ अनुमोदन बोर्ड की इस बैठक में चर्चा के लिए सिफारिश की है कि अग्रेतर विस्तार की सिफारिश नहीं की जाएगी।**

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 57.7.3 : पांचवें एवं छठें साल के बाद औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

14 सितंबर, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड में समान मामलों की जांच की तथा निम्नानुसार टिप्पणी की :

"अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को 5वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुन: बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नेमी मामले के रूप में वैधता अवधि बढ़ाई जा सकती है जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति नहीं की जाती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल की अवधि के लिए 5वें साल के बाद तथा 6 माह की अवधि के लिए छठें वर्ष के बाद बढ़ाने के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की।"

(i) मडिकोंडा गांव, हानमकोंडा मंडल, वारंगल जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जून, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 जून, 2007 के माध्यम से 14.32 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 14.50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 12 दिसंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के दो विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 25 जून, 2012 तक वैध थे।

अपने पत्र दिनांक 2 जुलाई 2012 के माध्यम से विकासक ने अपने एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए इस आधार पर अनुरोध किया है कि चूंकि वारंगल जिला आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है इसलिए यूनिट धारकों से अपेक्षित मांग प्राप्त नहीं हुई है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि चारदीवारी का निर्माण जैसी अवसंरचना सुविधाएं पूरी हो चुकी हैं तथा अन्य सुविधाएं जैसे कि पानी, बिजली, आंतरिक सड़क का निर्माण आदि शीघ्र शुरू होगा तथा यह कि राज्य सरकार ऐसी यूनिटों की सहायता के लिए कदम उठा रही है जो इस आईटी एसईजेड में आ चुकी हैं।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने सूचित किया है कि विकासक निम्नलिखित के संबंध में 2,46,66,000 रुपए (अनुमानित), 1,97,72,810 रुपए (पूर्ण) और 48,93,190 रुपए (शेष) खर्च कर चुका है :

(क) चारदीवारी / बाड़बंदी
(ख) इंक्यूबेशन सेंटर, काजीपेट
(ग) सड़क (संपर्क सड़क)
(घ) ड्रेन
(ङ) पावर / पावर लाइन की शिफ्टिंग
(च) पानी
(छ) स्ट्रीट लाइट (संपर्क सड़क)

31 दिसंबर, 2012 की स्थिति के अनुसार

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने सूचित किया है कि यह राज्य सरकार का एसईजेड है तथा भूमि कब्जे में है और चारदीवारी द्वारा उसकी बाड़बंदी की गई है। उन्होंने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) प्लाट नंबर 6, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 31 अक्टूबर, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स परफेक्ट आईटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 15 मई, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के दो विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 31 अक्टूबर, 2012 तक वैध थे।

अपने आवेदन दिनांक 5 फरवरी 2013 के माध्यम से विकासक ने अपने एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए इस आधार पर अनुरोध किया है कि उन्होंने अब निम्नलिखित अनुमोदन प्राप्त कर लिए हैं :

(क) पर्यावरणीय स्वीकृति
(ख) प्रचालन के लिए सहमति हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी
(ग) हाइट का अनुमोदन
(घ) फायर एनओसी
(ङ) भवन प्लान का अनुमोदन
(च) विद्युत उत्पादन के लिए अनुमोदन

यह भी सूचित किया गया है कि चारदीवारी का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि उन्होंने भूमि पर 26 करोड़ रुपए तथा अन्य पर 1 करोड़ रुपए का निवेश किया है। उन्होंने यह कहते हुए समाप्ति की प्रस्तावित समय सीमा भी प्रदान की है कि परियोजना 25 प्रतिशत प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र के लिए 18 माह के अंदर क्रियाशील हो जाएगी।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) ग्राम कर्कापटला, मंडल मुलुगू जिला मेडक, आंध्र प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 21 अगस्त, 2012 के बाद (पांचवे वर्ष के बाद) दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 22 अगस्त, 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। एसईजेड को 20 दिसंबर, 2011 को अधिसूचित किया गया। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के दो विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 21 अगस्त, 2012 तक वैध थे।

अपने पत्र दिनांक 26 जून 2012 के माध्यम से विकासक ने 21 अगस्त 2012 के बाद अपने एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए इस आधार पर अनुरोध किया है कि राज्य सरकार ने उन्हें पहले आवंटित लोकेशन को परिवर्तित कर दिया है जिसके लिए वाणिज्य विभाग के अनुमोदन की आवश्यकता थी।

विकासक ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने एसईजेड के प्रसंसकरण और गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के सीमांकन के लिए आवेदन किया है तथा अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी को लेआउट प्लान प्रस्तुत किया है। यह भी सूचित किया है कि निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(क) साइट का कब्जा ले लिया गया है
(ख) साइट तैयार कर ली गई है
(ग) वाहन विलेख निष्पादित किया गया है
(घ) एसईजेड के विकास के लिए मास्टर प्लान / लेआउट प्लान को अंतिम रूप दे दिया गया है। वे अनुमोदन के लिए एकल खिड़की को औपचारिक रूप से आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iv) अदिबाटला गांव, इब्राहिमपट्टनम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए 6 जनवरी, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स काग्नीजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 7 जनवरी, 2008 को प्रदान किया गया था। 16.19 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 9 जून, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के दो विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 6 जनवरी, 2013 तक वैध था।

अपने पत्र दिनांक 12 दिसंबर 2012 के माध्यम से विकासक ने 6 जनवरी 2013 के बाद अपने एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए इस आधार पर अनुरोध किया है कि एसईजेड में भूमि का पुन: अभिमुखीकरण किया गया जिसकी वजह से कुछ विलंब हुआ।

विकासक ने सूचित किया है कि उन्होंने एसईजेड क्षेत्र के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण पूरा कर लिया है। वे जनवरी 2013 में निर्माण गतिविधि शुरू करना चाहते हैं तथा 2014 के मध्य तक प्रचालन शुरू करना चाहते हैं।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

तदनुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) ग्राम हरगढ़, तहसील सिहोर, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश में खनिज एवं खनिज आधारित उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए 16 मार्च, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए एमपी औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड से अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 17 मार्च, 2008 को प्रदान किया गया था। एसईजेड को 24 जुलाई, 2008 को अधिसूचित किया गया। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के दो विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 16 मार्च, 2013 तक वैध था।

विकासक ने 6 जनवरी 2013 के बाद अपने एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए इस आधार पर अनुरोध किया है कि उन्होंने एसईजेड में 522.84 लाख रुपए का व्यय किया है तथा भावी विकास के लिए विभिन्न अन्य गतिविधियों की योजना बनाई जा रही है और यह कि विभिन्न उद्यमियों ने एसईजेड में यूनिटें स्थापित करने के लिए अपनी रुचि व्यक्त की है जिनके आवेदनों पर विकास आयुक्त के कार्यालय के साथ विचार किया जा रहा है।

विकास आयुक्त, आईएसईजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vi) ग्राम पारिगी और सेरिकोकुम, पारिगी मंडल, सी कोडीजेपल्ली गांव, मडकसारा मंडल, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में बहु सेवा एसईजेड स्थापित करने के लिए 4 फरवरी, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स बेनीफिसेंट नालेज पार्क्स एंड प्रापर्टीज लिमिटेड से अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 4 फरवरी 2008 को प्रदान किया गया था। एसईजेड को 23 अप्रैल, 2009 को अधिसूचित किया गया। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के दो विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 3 फरवरी, 2013 तक वैध था।

अपने पत्र दिनांक 4 दिसंबर 2012 के माध्यम से विकासक ने 4 फरवरी 2013 के बाद अपने एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए इस आधार पर अनुरोध किया है कि उसे आवंटित भूमि का कब्जा अभी तक नहीं मिला है जिसकी वजह से खरीदी गई पट्टा भूमि की सन्निकटता भंग हो रही है।

विकासक ने सूचित किया है कि उन्होंने निम्नलिखित ढंग से परियोजना को पूरा करने का प्रस्ताव किया है :

(क) अधिसूचना : मार्च, 2013
(ख) प्रसंस्करण एवं गैर प्रसंस्करण क्षेत्रों का सीमांकन : जून 2013
(ग) चारदीवारी : अक्टूबर 2013
(घ) आईसीडी : दिसंबर, 2013

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने सूचित किया है कि एपीआईआईसी उक्त भूमि को सौंपने की प्रक्रिया में है। इसलिए उन्होंने 5 फरवरी 2013 के बाद एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vii) गांधीनगर - सरखेज हाइवे, गांधीनगर, गुजरात में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए 6 जनवरी, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) से अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 7 जनवरी 2008 को प्रदान किया गया था। एसईजेड को 13 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के दो विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 6 जनवरी, 2013 तक वैध था।

अपने पत्र दिनांक 18 दिसंबर 2012 के माध्यम से विकासक ने 6 जनवरी 2013 के बाद अपने एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए विभिन्न कारणों से अनुरोध किया है जैसे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी

जिसकी वजह से एसईजेड यूनिट लेने वालों की संख्या कम है, मैट लगाया जाना तथा एसईजेड में आवंटित भूखंड के ऊपर से 11 के बीच की पावर लाइन का गुजरना जिसकी वजह से यूनिटों ने उसे शिफ्ट करने का अनुरोध किया है तथा गुजरात सरकार के पास मामला लंबित है।

विकासक ने सूचित किया है कि उन्होंने चारदीवारी तथा अन्य अवसंरचना जैसे कि सड़क, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट, जल वितरण नेटवर्क तथा भूखंडों के सीमांकन का कार्य पूरा कर लिया है।

विकासक ने कुल 30.33 करोड़ रुपए का निवेश किया है जिसमें से 24.66 करोड़ रुपए भूमि के लिए तथा 6.67 करोड़ रुपए अन्य अवसंरचना कार्य पर हैं।

विकासक ने 6 जनवरी 2014 तक परियोजना को पूर्ण करने का प्रस्ताव किया है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(viii) ग्राम ओगनाज, तालुक दसक्रोई, जिला अहमदाबाद, गुजरात में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए 19 दिसंबर, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स गणेश इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 20 दिसंबर 2006 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का तीन विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 19 दिसंबर, 2012 तक वैध था।

कस्बा आयोजना स्कीम की मंजूरी में अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (एयूडीए) से अंतिम भूखंड के लिए अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब के कारण विकासक ने अपने पत्र दिनांक 31 दिसंबर 2012 के माध्यम से 19 दिसंबर 2012 के बाद अपने एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। उन्होंने सूचित किया है कि गुजरात सरकार में हाल ही में टीपी योजना संख्या 36 और 64 अनुमोदित की है और इसलिए वे 1 फरवरी 2013 से निर्माण कार्य शुरू करेंगे।

अब तक विकासक द्वारा भूमि के अधिग्रहण तथा अन्य प्रभारों में किया गया निवेश 46.18 करोड़ रुपए है और उन्होंने प्रतिबद्धता की है कि वे अगले साल में निर्माण कार्य के लिए लगभग 36 करोड़ रुपए व्यय करेंगे। विकासक द्वारा प्रस्तुत योजना अनुसूची में यह उल्ललेख है कि परियोजना का चरण 1 दिसंबर 2014 तक पूरा हो जाएगा तथा चरण 2 दिसंबर, 2017 तक पूरा होगा।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ix) दीमापुर, नागालैंड में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए 11 अक्टूबर, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स नागालैंड इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 12 अक्टूबर 2007 को प्रदान किया गया था। एसईजेड को 20 जुलाई, 2009 को अधिसूचित किया गया है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के तीन विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 11 अक्टूबर, 2012 तक वैध था।

विकासक ने अपने पत्र दिनांक 8 नवंबर 2012 के माध्यम से परियोजना को पूरा करने के लिए 11 अक्टूबर 2012 के बाद अपने एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। सूचित किया गया है कि अब तक एसईजेड में प्रचालन के अधिकांश कार्य पूरे हो गए हैं।

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(x) ग्राम ओगनाज, तालुक दसक्रोई, जिला अहमदाबाद, गुजरात में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए 6 नवंबर, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स कलिका कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 6 नवंबर 2006 को प्रदान किया गया था। एसईजेड को 8 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के तीन विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 5 नवंबर, 2012 तक वैध था।

एयूडीए द्वारा विकास योजना को विलंब से अंतिम रूप दिए जाने के कारण विकासक ने अपने पत्र दिनांक 2 अक्टूबर 2012 के माध्यम से 6 नवंबर 2012 के बाद अपने एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने अधिसूचित एसईजेड को विकसित करने के लिए कार्यान्वयन की दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया है जिसके लिए अधिकृत प्रचालनों के लिए सीमांकन तथा माल एवं सेवाओं का अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।

विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र में चारदीवारी, प्रशासनिक ब्लाक एवं अन्य भवनों, विद्युतीकरण, सड़क तथा वाटर पाइप लाइन जैसे अवसंरचना कार्य शुरू किए हैं तथा आज तक 12.90 करोड़ रुपए (भूमि से भिन्न) का व्यय किया है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xi) त्रिक्काकारा, एर्नाकुलम जिला, केरल में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए 20 फरवरी, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स केरल इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन (किनफ्रा) से अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 21 अगस्त 2006 को प्रदान किया गया था। एसईजेड को 13 जून, 2007 को अधिसूचित किया गया। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के तीन विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 20 फरवरी, 2013 तक वैध था।

विकासक ने अपने पत्र दिनांक 28 जनवरी 2013 के माध्यम से 20 फरवरी 2013 के बाद अपने एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए इस आधार पर अनुरोध किया है कि आर्थिक मंदी के भूतलक्षी प्रभाव तथा वित्त की कमी के कारण सह विकासक बढ़ाई गई अवधि में भवन को पूरा करने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका।

विकासक ने सूचित किया है कि 1000 लाख रुपए मूल्य के निम्नलिखित कार्य पूरे हो गए हैं :

(क) चारदीवारी पूरी हो गई है।
(ख) 110 केवी का सब स्टेशन सहित एसईजेड के लिए बाहरी विद्युत आपूर्ति का कार्य पूरा हो गया है।
(ग) जलापूर्ति वितरण प्रणाली के निर्माण का कार्य पूरा होने वाला है।
(घ) बाहरी सड़क का विकास पूरा हो गया है।
(ङ) सह विकासक ने पहले चरण के भवन (3 लाख वर्गफीट) का निर्माण शुरू किया है। पाइलिंग तथा दो बेसमेंट फ्लोर पूरे हो गए हैं। सह विकासक ने 680 लाख रुपए का निवेश किया है।
(च) साइट का विकास आंशिक रूप से पूरा हो गया है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xii) पुथुव्यपीन, कोचीन, केरल में पोर्ट आधारित एसईजेड स्थापित करने के लिए 17 अप्रैल, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 18 अप्रैल 2006 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के तीन विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 17 अप्रैल, 2013 तक वैध था।

विकासक ने अपने पत्र दिनांक 4 जनवरी 2013 के माध्यम से 17 अप्रैल 2013 के बाद अपने एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए इस आधार पर अनुरोध किया है कि अधिकृत प्रचालन कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर हैं।

विकासक ने सूचित किया है कि विकासक, 3 सह विकासकों (मैसर्स पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, मैसर्स बीपीसीएल तथा मैसर्स इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) तथा एक यूनिट (मैसर्स गेल) द्वारा विभिन्न अवसंरचना सुविधाएं प्रगति पर हैं।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xiii) कोकापेट गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए 22 अक्टूबर, 2012 के बाद (छठवें वर्ष के बाद) एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स हैदराबाद मेट्रोपोलिटन डवलपमेंट एथारिटी से अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 23 अक्टूबर, 2006 को प्रदान किया गया था। एसईजेड को 13 जून, 2007 को अधिसूचित किया गया। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के तीन विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 22 अक्टूबर, 2012 तक वैध था।

विकासक ने ड्रेनेज, स्टार्म वाटर ड्रेन, चारदीवारी, कस्टम आफिस जैसी शेष अवसंरचना प्रदान करने के लिए अपने पत्र दिनांक 3 जनवरी 2013 के माध्यम से 22 अक्टूबर 2012 के बाद अपने एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने सूचित किया है कि इस कार्यालय से 6 यूनिटों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। चार यूनिटों ने एविएशन अनुमोदन प्राप्त किया है तथा अन्य यूनिटें एविएशन तथा फायर विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं। मैसर्स बे इनफोटेक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया। एसईजेड तक संपर्क सड़क तथा जोड़ने वाली मौजूदा हैदराबाद - शंकरपल्ली रोड पूरी हो गई है। अनुमानित लागत 9.38 करोड़ रुपए है। 6.35 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एसईजेड की आंतरिक सड़कें पूरी हो गई हैं तथा 1.05 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एसईजेड की अस्थायी चेन लिंक फेंसिंग पूरी हो गई है। बिजली प्रदान करने के लिए एपीसीपीडीसीएल के साथ संयुक्त निरीक्षण पूरा हो गया है। एपीसीपीडीसीएल ने 7.66 करोड़ रुपए जमा करने के लिए एचएमडीए से अनुरोध किया है तथा यह प्रक्रियाधीन है। एसईजेड को बल्क वाटर सप्लाई प्रदान करने के लिए एचएमडब्ल्यूएसएंडएसबी के साथ संयुक्त निरीक्षण पूरा हो गया है। एचएमडब्ल्यूएसएंडएसबी ने उनसे 200 लाख रुपए की राशि जमा करने के लिए अनुरोध किया है। एचएमडीए ने एचएमडब्ल्यूएसएंडएसबी के पास 50 लाख रुपए की राशि जमा की है। ड्रेनेज, स्टार्म वाटर ड्रेन, चारदीवारी, कस्टम आफिस प्रदान करने के लिए 17.46 करोड़ रुपए की राशि के लिए अनुमान तैयार किया गया है ताकि कार्य शुरू किए जा सकें।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 57.7.4: 7वें वर्ष के बाद एलओए की वैधता अवधि बढ़ाना

(i) आदित्यपुर, झारखंड में आटोमोबाइल्स / आटो कंपोनेंट्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 दिसंबर, 2012 के बाद (सातवें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डवलपमेंट एथारिटी का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 14 जून, 2006 के माध्यम से 36.42 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 36.4218 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 5 सितंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को 13 जून 2012 तक तीन (वार्षिक) विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं तथा पिछला विस्तार (छमाही) 13 दिसंबर 2012 तक वैध है।

विकासक ने यह कहते हुए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 54.18 एकड़ की भूमि विमुक्त की जानी है और यह कि मंत्रालय में विमुक्तीकरण की प्रक्रिया अंतिम चरण पर है जिसके बाद एसईजेड को स्थापित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 57.8 : एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाना

बुनियादी तथ्य :

- **एसईजेड में यूनिटों के संबंध में मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के मामले एसईजेड नियमावली के नियम** 19 (4) **द्वारा अभिशासित हैं।**
- **नियम** 19 (4) **यह कहता है कि एलओपी एक साल की अवधि के लिए वैध होगा। पहला परंतुक अधिक से अधिक दो साल के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकास आयुक्तों को अधिकार प्रदान करता है। दूसरा परंतुक विकास आयुक्त को एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने का अधिकार प्रदान करता है, परंतु शर्त यह है कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है।**
- **तीसरे वर्ष के बाद (ऐसे मामलों में जहां दो तिहाई गतिविधियां पूरी नहीं हुई हैं) तथा चौथे वर्ष के बाद वैधता अवधि अनुमोदन बोर्ड द्वारा बढ़ाई जाती है।**
- **अनुमोदन बोर्ड एक बार में एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकता है।**
- **अनुमोदन बोर्ड द्वारा वैधता अवधि बढ़ाने की कोई समय सीमा नहीं है।**

मद संख्या 57.8.1: तीसरे वर्ष के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (ऐसे मामलों में जहां दो तिहाई गतिविधियां पूरी नहीं हुई हैं)

(i) 5 जनवरी, 2013 के बाद (तीसरे वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स हिंदुस्तान पोलीमाइड्स एंड फाइबर्स लिमिटेड जो भडूच, गुजरात में दाहेज एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 6 **जनवरी** 2010 **के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में कुछ रसायनों के निर्माण के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स हिंदुस्तान पोलीमाइड्स एंड फाइबर्स लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। नियम** 19 (4) **के पहले परंतुक के तहत विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड द्वारा यूनिट को** 5 **जनवरी** 2013 **तक दो विस्तार प्रदान किए गए हैं।**

नियम 19 (4) **के दूसरे परंतुक के अनुसरण में तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए यूनिट के अनुरोध को विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड द्वारा प्रोसेस किया जाना चाहिए था। तथापि, विकास आयुक्त ने अनुरोध पर अपनी आपत्तियां प्रदान की हैं तथा अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने के लिए अपनी सिफारिश के साथ इसे अग्रेषित किया है (अनुबंध** 4)**।**

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 5 **जनवरी**, 2013 **के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।**

तद्नुसार यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) 2 फरवरी, 2013 के बाद (तीसरे वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स अलस्टोम भारत फोर्ज पावर लिमिटेड जो मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में एमपीएसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 03 **फरवरी**, 2010 **के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स अलस्टोम भारत फोर्ज पावर लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। नियम** 19 (4) **के पहले परंतुक के तहत विकास आयुक्त, एमपीएसईजेड द्वारा यूनिट को** 2 **फरवरी** 2013 **तक दो विस्तार प्रदान किए गए हैं।**

नियम 19 (4) **के दूसरे परंतुक के अनुसरण में तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए यूनिट के अनुरोध को विकास आयुक्त**, **एमपीएसईजेड द्वारा प्रोसेस किया जाना चाहिए था। तथापि**, **विकास आयुक्त ने अनुरोध पर अपनी आपत्तियां प्रदान की हैं तथा अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने के लिए अपनी सिफारिश के साथ इसे अग्रेषित किया है** (**अनुबंध** 4)**।**

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 2 **फरवरी**, 2013 **के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन**: **बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।**

तद्नुसार यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) 2 फरवरी, 2013 के बाद (तीसरे वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कल्याणी अलस्टोन पावर लिमिटेड जो मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में एमपीएसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 03 **फरवरी**, 2010 **के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स कल्याणी अलस्टोम पावर लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। नियम** 19 (4) **के पहले परंतुक के तहत विकास आयुक्त**, **एमपीएसईजेड द्वारा यूनिट को** 2 **फरवरी** 2013 **तक दो विस्तार प्रदान किए गए हैं।**

नियम 19 (4) **के दूसरे परंतुक के अनुसरण में तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए यूनिट के अनुरोध को विकास आयुक्त**, **एमपीएसईजेड द्वारा प्रोसेस किया जाना चाहिए था। तथापि**, **विकास आयुक्त ने अनुरोध पर अपनी आपत्तियां प्रदान की हैं तथा अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने के लिए अपनी सिफारिश के साथ इसे अग्रेषित किया है** (**अनुबंध** 6)**।**

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 2 **फरवरी**, 2013 **के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन**: **बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।**

तद्नुसार यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 57.8.2: चौथे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 28 जून, 2013 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जायडस टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो अहमदाबाद, गुजरात में मैसर्स जायडास फार्मा एसईजेड द्वारा फर्मास्युटिकल्स के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट की यूनिट है, का अनुरोध

विभिन्न ट्रांसडर्मल पैच (**मेडिकल पैच**) **के निर्माण एवं निर्यात के लिए एलओपी दिनांक** 29 **जून** 2009 **के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स मैसर्स जायडस टेक्नोलॉजी लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को नियम** 19 (4) **के पहले परंतुक के तहत विकास आयुक्त**, **केएसईजेड द्वारा दो विस्तार प्रदान किए गए हैं तथा नियम** 19 (4) **के दूसरे परंतुक के तहत** 28 **जून** 2013 **तक तीसरा विस्तार प्रदान किया गया है। यूनिट ने** 28 **जून**, 2013 **के बाद एक साल की अगली अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन**: **बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।**

मामले की जांच करने के बाद विकास आयुक्त, **केएएसईजेड ने अपनी टिप्पणियां प्रदान की हैं तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार करने के लिए मामले की सिफारिश की है** (**अनुबंध** 7)**।**

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 28 जून, 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) 31 मार्च, 2013 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स रामदेव केमिकल इंडस्ट्रीज जो भडूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 01 दिसंबर, 2008 के माध्यम से विभिन्न रसायनों के विनिर्माण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स रामदेव केमिकल इंडस्ट्रीज को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को नियम 19 (4) के पहले परंतुक के तहत विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड द्वारा दो विस्तार प्रदान किए गए हैं तथा नियम 19 (4) के दूसरे परंतुक के तहत 31 मई 2012 तक की अवधि के लिए केवल 6 माह के लिए तीसरा विस्तार प्रदान किया गया है। यूनिट को 30 मार्च 2012 को आयोजित 52वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा 31 मार्च 2013 तक चौथा विस्तार प्रदान किया गया। इस प्रकार तीसरे साल का विस्तार दो भागों में था।

अब यूनिट ने 31 मार्च, 2013 के बाद एक साल की अगली अवधि के लिए अपने एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

मामले की जांच करने के बाद विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने अपनी टिप्पणियां प्रदान की हैं तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार करने के लिए मामले की सिफारिश की है (अनुबंध 8)।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च, 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) 30 नवंबर, 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स गुजरात डाईस्टफ इंडस्ट्रीज जो भडूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 01 दिसंबर, 2008 के माध्यम से (1) विनायल सल्फोन एस्टर (2) हाइड्रोक्लोरिक एसिड और (3) सल्फ्यूरिक एसिड (डायल्यूट) के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स गुजरात डाईस्टफ इंडस्ट्रीज को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को नियम 19 (4) के पहले परंतुक के तहत विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड द्वारा दो विस्तार प्रदान किए गए हैं तथा नियम 19 (4) के दूसरे परंतुक के तहत 30 नवंबर, 2012 तक तीसरा विस्तार प्रदान किया गया है। यूनिट ने 30 नवंबर, 2012 के बाद एक साल की अगली अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

मामले की जांच करने के बाद विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने अपनी टिप्पणियां प्रदान की हैं तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार करने के लिए मामले की सिफारिश की है (अनुबंध 9)।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 30 नवंबर, 2012 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iv) 5 जनवरी, 2013 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स स्टर्लिंग विनायल एडीटिव्स एलएलपी जो भडूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

रसायनों के निर्माण एवं निर्यात के लिए एलओपी दिनांक 30 अक्टूबर, 2009 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स स्टर्लिंग विनायल एडीटिव्स एलएलपी को एलओपी प्रदान किया गया था। विकास आयुक्त, दाहेज द्वारा 29 अक्टूबर, 2011 तक यूनिट को पहला विस्तार प्रदान किया गया था। इसके बाद यूनिट को कोई और विस्तार प्रदान नहीं किया गया। विकास आयुक्त, दाहेज ने पत्र दिनांक 3 अप्रैल 2012 के माध्यम से यूनिट को सूचित किया है कि एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (5) के अनुसार उसके एलओए के निरस्त के रूप में माना गया है।

दाहेज एसईजेड के माध्यम से सूचित किए गए उपर्युक्त निर्णय से व्यथित यूनिट ने 6 जुलाई 2012 को आयोजित 53वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की थी। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अपील को मंजूर कर लिया तथा अनुमोदन बोर्ड के बैठक की तिथि से 6 माह की अवधि के लिए अर्थात 5 जनवरी 2013 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई गई।

अब यूनिट ने 5 जनवरी 2013 के बाद 6 माह की अगली अवधि के लिए अपने एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

मामले की जांच करने के बाद विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने अपनी टिप्पणियां प्रदान की हैं तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार करने के लिए मामले की सिफारिश की है (अनुबंध 10)।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 5 जनवरी, 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(v) 12 मार्च, 2013 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मारसंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम कलवारा, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान में मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा लाइट इंजीनियरिंग के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

आटोमोटिव कंपोनेंट सहित एलईआई के लिए एलओपी दिनांक 12 मार्च 2009 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स मारसंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था।

यूनिट को नियम 19 (4) के पहले परंतुक के तहत विकास आयुक्त, एनएसईजेड द्वारा दो विस्तार प्रदान किए गए हैं तथा नियम 19 (4) के दूसरे परंतुक के तहत 12 मार्च 2013 तक तीसरा विस्तार प्रदान किया गया है। यूनिट ने 12 मार्च, 2013 के बाद 6 माह की अगली अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

मामले की जांच करने के बाद विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अपनी टिप्पणियां प्रदान की हैं तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार करने के लिए मामले की सिफारिश की है (अनुबंध 11)।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 12 मार्च, 2013 के बाद 6 माह की अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(vi) 15 दिसंबर, 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सन फर्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो भडूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स सन फर्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को विभिन्न फर्मास्युटिकल फर्मुलेशन अर्थात टेबलेट आदि के विनिर्माण के लिए एलओपी दिनांक 16 दिसंबर 2008 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को नियम 19 (4) के पहले परंतुक के तहत विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड द्वारा दो विस्तार प्रदान किए गए हैं तथा नियम 19 (4) के दूसरे परंतुक के तहत 15 दिसंबर 2012 तक तीसरा विस्तार प्रदान किया गया है। यूनिट ने 15 दिसंबर, 2012 के बाद एक साल की अगली अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

मामले की जांच करने के बाद विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने अपनी टिप्पणियां प्रदान की हैं तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार करने के लिए मामले की सिफारिश की है (अनुबंध 12)।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 15 दिसंबर, 2012 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 57.8.3: 5वें वर्ष के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 27 मार्च, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एक्सएल एनर्जी लिमिटेड जो रवीरयाल / श्रीनगर गांव, महेश्वरम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स फैब सिटी एसपीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सेमी कंडक्टर के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

सोलर फोटोवाल्टिक सेल के निर्माण के लिए एलओपी दिनांक 28 मार्च 2008 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स एक्सएल एनर्जी लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था।

यूनिट को मूल वैधता अवधि के बाद नियम 19 (4) के तहत विकास आयुक्त, वीएसईजेड द्वारा तीन विस्तार प्रदान किए गए हैं तथा 13 मार्च 2012 को आयोजित 51वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा 27 मार्च 2013 तक चौथा विस्तार प्रदान किया गया है। यूनिट ने 12 मार्च, 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

मामले की जांच करने के बाद विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने अपनी टिप्पणियां प्रदान की हैं तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार करने के लिए मामले की सिफारिश की है (अनुबंध 13)।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 27 मार्च, 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) 27 फरवरी, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स फुलक्रम वर्ल्डवाइड साफ्टेवेयर प्राइवेट लिमिटेड जो प्लाट नंबर 14, राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए एमआईडीसी द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 28 फरवरी, 2008 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स फुलक्रम वर्ल्डवाइड साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था।

यूनिट को मूल वैधता अवधि के बाद नियम 19 (4) के तहत विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड द्वारा दो विस्तार प्रदान किए गए हैं तथा 31 मई 2011 और 13 मार्च 2012 को आयोजित क्रमश: 46वीं एवं 51वीं बैठकों में अनुमोदन बोर्ड द्वारा 27 फरवरी 2013 तक दो विस्तार प्रदान किए गए हैं (विकास आयुक्त तीसरा

विस्तार प्रदान नहीं कर सका तथा इसे अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने का प्रस्ताव किया था)। यूनिट ने 27 फरवरी, 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

मामले की जांच करने के बाद विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने अपनी टिप्पणियां प्रदान की हैं तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार करने के लिए मामले की सिफारिश की है (अनुबंध 14)।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 27 मार्च, 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) 21 जनवरी, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स विगोर लैबोरेटरीज जो इंदौर एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 22 जनवरी, 2008 के माध्यम से मैसर्स विगोर लैबोरेटरीज को उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए एलओपी प्रदान किया गया था।

यूनिट को मूल वैधता अवधि के बाद नियम 19 (4) के तहत विकास आयुक्त, इंदौर एसईजेड द्वारा दो विस्तार प्रदान किए गए हैं तथा 28 नवंबर 2011 को आयोजित अपनी 49वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा 21 जनवरी 2013 तक दो विस्तार प्रदान किए गए हैं (एक बार में दो साल के लिए सीधे दो विस्तार प्रदान किए गए)। यूनिट ने 21 जनवरी, 2013 के बाद एक साल की अगली अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

मामले की जांच करने के बाद विकास आयुक्त, इंदौर एसईजेड ने अपनी टिप्पणियां प्रदान की हैं तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार करने के लिए मामले की सिफारिश की है (अनुबंध 15)।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 21 जनवरी, 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iv) 4 फरवरी, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स आईगेट पाटनी कंप्यूटर सिस्टम लिमिटेड जो पुणे, महाराष्ट्र में एमआईडीसी के आईटी / आईटीईएस एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 5 फरवरी 2008 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स आईगेट पाटनी कंप्यूटर सिस्टम लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था।

यूनिट को मूल वैधता अवधि के बाद नियम 19 (4) के तहत विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड द्वारा दो विस्तार प्रदान किए गए हैं तथा 31 मई 2011 और 13 मार्च 2011 को आयोजित क्रमश: 46वीं एवं 51वीं बैठकों में अनुमोदन बोर्ड द्वारा 21 जनवरी 2013 तक दो विस्तार प्रदान किए गए हैं। यूनिट ने 5 फरवरी, 2013 के बाद एक साल की अगली अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

मामले की जांच करने के बाद विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने अपनी टिप्पणियां प्रदान की हैं तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार करने के लिए मामले की सिफारिश की है (अनुबंध 16)।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 05 फरवरी, 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(v) 4 फरवरी, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ओएनजीसी जो दाहेज एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 06 **मार्च**, 2007 **के माध्यम से मैसर्स ओएनजीसी को उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए एलओपी प्रदान किया गया था।**

यूनिट को मूल वैधता अवधि के बाद नियम 19 (4) **के तहत विकास आयुक्त**, **दाहेज एसईजेड द्वारा तीन विस्तार प्रदान किए गए हैं (तीसरा विस्तार दो साल के लिए है) तथा** 24 **जनवरी** 2012 **को आयोजित** 50**वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा** 24 **जनवरी** 2012 **तक चौथा विस्तार प्रदान किया गया है। यूनिट ने** 4 **फरवरी**, 2013 **के बाद एक साल की अगली अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।**

मामले की जांच करने के बाद विकास आयुक्त, **दाहेज एसईजेड ने अपनी टिप्पणियां प्रदान की हैं तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार करने के लिए मामले की सिफारिश की है (अनुबंध** 17)**।**

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 04 **फरवरी**, 2013 **के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।**

(vi) 05 फरवरी, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जियोन सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो एमएडीसी एसईजेड, नागपुर की एक यूनिट है, का अनुरोध

साफ्टवेयर विकास के लिए एलओपी दिनांक 5 **फरवरी** 2008 **के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स जियोन सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था।**

यूनिट को नियम 19 (4) **के तहत विकास आयुक्त**, **एमएडीसी एसईजेड द्वारा मूल वैधता अवधि के बाद दो विस्तार प्रदान किए गए हैं तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा** 5 **फरवरी** 2013 **तक दो विस्तार प्रदान किए गए। यूनिट ने** 5 **फरवरी**, 2013 **के बाद एक साल की अगली अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।**

मामले की जांच करने के बाद विकास आयुक्त, **एमएडीसी एसईजेड ने अपनी टिप्पणियां प्रदान की हैं तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार करने के लिए मामले की सिफारिश की है (अनुबंध** 18)**।**

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 05 **फरवरी**, 2013 **के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।**

(vii) 31 मार्च, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स नगारो साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड जो जयपुर, राजस्थान में महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

साफ्टवेयर विकास तथा परामर्श सेवा के निर्माण एवं निर्यात के लिए एलओपी दिनांक 30 **मार्च** 2008 **के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स नगारो साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था।**

यूनिट को नियम 19 (4) **के तहत विकास आयुक्त**, **एनएसईजेड द्वारा मूल वैधता अवधि के बाद दो विस्तार प्रदान किए गए हैं तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा** 31 **मार्च** 2013 **तक दो विस्तार प्रदान किए गए। यूनिट ने** 31 **मार्च**, 2013 **के बाद एक साल की अगली अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन**: **बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।**

मामले की जांच करने के बाद विकास आयुक्त, **एनएसईजेड ने अपनी टिप्पणियां प्रदान की हैं तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार करने के लिए मामले की सिफारिश की है** (**अनुबंध** 19)**।**

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 31 **मार्च**, 2013 **के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन**: **बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।**

मद संख्या 57.8.4: एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विविध मामले

(i) 31 दिसंबर, 2012 के बाद फाल्टा एसईजेड की निम्नलिखित प्लास्टिक रिप्रोसेसिंग यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकास आयुक्त, फाल्टा से अनुरोध :

1. **मैसर्स प्रिसीजन पोलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड**
2. **मैसर्स बावरिया पोली प्राइवेट लिमिटेड जिसका नाम अब मैसर्स कल्पना इंडस्ट्रीज लिमिटेड है**
3. **मैसर्स अमरनाथ एनवायरोप्लास्ट लिमिटेड**
4. **मैसर्स आल्पस ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड**

विकास आयुक्त, **फाल्टा एसईजेड ने** 31 **दिसंबर** 2012 **के बाद इन यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है** (**अनुबंध** 20)**।**

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

(ii) 31 मार्च, 2013 के बाद टेक्सटाइल रिप्रोसेसिंग यूनिटों के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए मैसर्स गुजरात टेक्सटाइल के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकास आयुक्त, फाल्टा से अनुरोध

विकास आयुक्त, **फाल्टा एसईजेड ने** 31 **मार्च** 2013 **के बाद इस यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है** (**अनुबंध** 21)**।**

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) 24 मार्च, 2013 से 23 मार्च, 2018 तक 5 साल की दूसरी अवधि के लिए स्क्रैप आधारित रिसाइकलिंग यूनिट अर्थात मैसर्स एसईजेड रिसाइकलिंग जो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी एसईजेड में रिसाइकलिंग यूनिट है, वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकास आयुक्त, एमईपीजेड से अनुरोध

विकास आयुक्त, **एमईपीजेड ने** 31 **मार्च** 2013 **के बाद इस यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है** (**अनुबंध** 22)**।**

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 57.9 : विविध मामले

(i) गुड़गांव, हरियाणा में स्थित जैव प्रौद्योगिकी के लिए अपने दो अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के विलय के लिए मैसर्स मयार इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध

मैसर्स मयार इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड को 41.57 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बायोटेक एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन दिनांक 26 जुलाई, 2007 प्रदान किया गया है। चूंकि भूमि संस्पर्शी नहीं थी इसलिए 4 जून 2008 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने बायोटेक एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रस्ताव को दो अलग एसईजेड में विभाजित करने के लिए मंजूरी प्रदान की। तद्नुसार वाणिज्य विभाग द्वारा दो औपचारिक अनुमोदन दिनांक 14 जुलाई 2008 जारी किए गए। दोनों एसईजेड अधिसूचित किए गए हैं।

अब विकासक ने एसईजेड के दो अधिसूचित क्षेत्र के बीच मौजूदा 3.5 मीटर चौड़ा चक रास्ता पर ओवरहेड ब्रिज के निर्माण के माध्यम से सन्निकटता स्थापित करके दोनों एसईजेड के विलय के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियां प्रदान की है (अनुबंध 23) तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए उसे अग्रेषित किया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) मिहान एसईजेड जो नागपुर, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड है, में 3 स्थायी फाटकों और 1 एयरक्राफ्ट इंट्री गेट के अनुमोदन के लिए मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) का प्रस्ताव

मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) द्वारा 1236.21 हेक्टेयर के प्रसंस्करण क्षेत्र में मिहान विशेष आर्थिक क्षेत्र, नागपुर का विकास किया जा रहा है। एमएडीसी ने पहले अनुमोदन बोर्ड से एसईजेड के लिए 4 स्थायी तथा 7 अस्थायी फाटकों के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए प्रस्ताव किया था। एमएडीसी का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड की 33वीं और 35वीं बैठक में रखा गया था। तथापि, उस समय प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया।

अब पत्र दिनांक 01 फरवरी, 2013 और 5 फरवरी, 2013 के माध्यम से उन्होंने एसईजेड की 3 दिशाओं में 3 स्थायी फाटकों जो मैप में दर्शाए गए हैं, के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सभी फाटकों का प्रयोग निर्माण मजदूरों, स्टाफ तथा वाहन यातायात के मूवमेंट के लिए किया जाना है। तथापि, मशीनरी, कच्चे माल तथा अन्य माल के मूवमेंट के लिए केवल एक फाटक का प्रयोग किया जाएगा। पहले उन्होंने 7 अस्थायी फाटक स्थापित करने के लिए भी अनुमति प्रदान करने के लिए अनुरोध किया था क्योंकि एसईजेड के अंदर तथा आसपास के क्षेत्र में आने वाले गांवों के बाशिंदों के मूवमेंट के लिए इनकी आवश्यकता थी। अब चूंकि मार्च 2013 के अंत तक भूमि अधिग्रहण पंचाट की घोषणा हो जाने की संभावना है तथा ग्रामीणों को एसईजेड के बाहर पुनर्वासित किया जा रहा है इसलिए 7 स्थायी फाटकों के प्रस्ताव को छोड़ दिया गया है।

एमएडीसी ने पत्र दिनांक 29 जनवरी 2013 (प्रति संलग्न) के माध्यम से एयरपोर्ट की चारदीवारी पर 100 मीटर के एक एयरक्राफ्ट इंट्री गेट के अनुमोदन के लिए भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ताकि एयरपोर्ट से मैसर्स एयर इंडिया द्वारा मिहान एसईजेड में विकसित किए जा रहे एमआरओ में एयरक्राफ्ट की इंट्री हो सके। यूनिट अनुमोदन समिति मिहान एसईजेड, नागपुर में मैसर्स एयर इंडिया (पहले इसका नाम मैसर्स नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड था) की एमआरओ सुविधा स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर चुकी है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने मिहान एसईजेड, नागपुर में 3 स्थायी फाटकों तथा 100 मीटर के एक एयरक्राफ्ट इंट्री गेट के अनुमोदन के लिए एमएडीसी के प्रस्ताव को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने की सिफारिश की है (अनुबंध 24)।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iii) अपने एसईजेड का लोकेशन माधापुर गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में परिवर्तित करने के लिए मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड जो गचिबावली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव

मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड को गचिबावली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में आईटी / आईटीईएस यूनिट स्थापित करने के लिए एलओए दिनांक 5 फरवरी 2008 जारी किया गया था।

यूनिट ने 10 अप्रैल 2010 को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है तथा 8.43 करोड़ रुपए के निवेश से 747.19 करोड़ रुपए का कुल निर्यात किया है तथा इसका एनएफई 738.76 करोड़ रुपए है। इसने 1602 व्यक्तियों को रोजगार दिया है।

अपने पत्र दिनांक 31 दिसंबर 2012 के माध्यम से यूनिट ने बताया है कि वे प्रचालन की लागतों को कम करने तथा ऊपरी खर्चों को घटाने एवं दक्षता में वृद्धि के लिए माधापुर गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अपनी यूनिट को शिफ्ट करना चाहते हैं।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव को अग्रेषित किया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iv) मैसर्स इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फाइनेंस कंपनी (आईडीएफसी) को कंपनी के शेयरों की 100 प्रतिशत बिक्री के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स नियोप्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम मैसर्स फ्लैगशिप इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड था) जो पुणे, महाराष्ट्र में स्थित आईटी / आईटीईएस एसईजेड है, का अनुरोध

मैसर्स नियोप्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम मैसर्स फ्लैगशिप इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड था) जो पुणे, महाराष्ट्र में एसईजेड है, 10.1766 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित हो गया है। विकासक ने मैसर्स इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फाइनेंस कंपनी (आईडीएफसी) को विकासक कंपनी के शेयर की बिक्री के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

शेयरों की बिक्री के लिए एसईजेड अधिनियम या नियमावली में कोई संगत प्रावधान नहीं है। तथापि, विकासक ने यह कहते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि अनुमोदन बोर्ड द्वारा मैसर्स डीएलएफ आकृति इनफो पार्क्स (पुणे) के शेयरों की बिक्री के समान मामले को मंजूरी प्रदान की गई है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव को अग्रेषित किया है (अनुबंध 25)।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(v) एसईजेड में स्थित यूनिटों द्वारा अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने के लिए घरेलू टैरिफ क्षेत्र की यूनिटों से जॉब वर्क करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स वेंचर आटोमोटिव टूलिंग इंडिया लिमिटेड जो श्री सिटी बहु उत्पाद्द एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स वेंचर आटोमोटिव टूलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आटोमोबाइल एवं इंजीनियरिंग उद्योग के लिए माउल्ड, जिग और फिक्सचर के विनिर्माण के लिए 2008 में श्री सिटी एसईजेड (बहु उत्पाद्द) में स्थापित पहली यूनिटों में से एक है। यह कंपनी इंजीनियरिंग यूनिट है तथा उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पादों के विनिर्माण में शुरू में इसे संघर्ष करना पड़ा था। वे एलओए के अनुसार डिजाइन एवं इंजीनियरिंग सेवाएं भी प्रदान करते हैं।

यूनिट ने एसईजेड में स्थित यूनिटों द्वारा अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने के लिए घरेलू टैरिफ क्षेत्र की यूनिटों से जॉब वर्क करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने यूनिट के अनुरोध पर अपनी टिप्पणियां प्रदान की है तथा अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने के लिए मामले की सिफारिश की है (अनुबंध 26)।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(vi) एयर साइड गेट (सेकंड गेट) जिसकी आवश्यकता एयरपोर्ट से एयरक्राफ्ट की अक्सर इंट्री और एग्जिट के लिए होती है, के प्रयोग के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड जो मामिडीपल्ली गांव, शमशाबाद मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में एविएशन सेक्टर के लिए एसईजेड है, का प्रस्ताव

मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड आंध्र प्रदेश में अधिसूचित एसईजेड है। एसईजेड में एक मेन गेट है जिससे पुरुषों और सामग्रियों का मूवमेंट होता है। विकासक ने बताया है कि एसईजेड के प्रचालन का स्वरूप ऐसा है कि एयरक्राफ्ट की इंट्री और एग्जिट के लिए एयरपोर्ट की ओर (अर्थात एयर साइड) दूसरे फाटक की आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ कर्मचारियों तथा कुछ सामग्रियों का प्रवेश एयर साइड गेट से नहीं कर नहीं हो सकता है तथा एयरक्राफ्ट सामान्य गेट से प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए विकासक ने एयर साइड में दूसरे गेट के लिए अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव को रखने के लिए अग्रेषित किया है (अनुबंध 27)।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(vii) (1) एलसी फेरो क्रोम (2) एफसी मैग्नीज (3) फेरो मोलिबडनम और (4) फेरो टिटेनियम के विनिर्माण के लिए वीएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स लताशा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का प्रस्ताव

मैसर्स लताशा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ने उपर्युक्त फेरस सामग्रियों के विनिर्माण के लिए उसके एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए विकास आयुक्त, वीएसईजेड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यूनिट डीटीए आपूर्तिकर्ता से कच्चा माल जैसे कि क्रोम ओर कंसंट्रेट, लैमेनाइट कंसंट्रेट आदि प्राप्त करना चाहती है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने टिप्पणी की है कि किसी डीटीए यूनिट द्वारा किसी एसईजेड विकासक / यूनिट को प्रतिबंधित मद की आपूर्ति के संबंध में अनुदेश संख्या 47 दिनांक 4 मार्च 2010 के अनुसार अनुमोदन बोर्ड का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है (अनुबंध 28)।

मैसर्स लताशा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(viii) मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डीटीए रिफाइनरी तथा आगामी सी2 कम्प्लेक्स को जोड़ने के लिए एसईजेड से होते हुए एक पाइप रैक इंस्टाल करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से अनुरोध

मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो जामनगर (रिलायंस) एसईजेड का विकासक है, ने एसईजेड से होते हुए एक पाइप रैक इंस्टाल करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है। 19 **फरवरी** 2013 **को आयोजित अपनी बैठक में यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा आरआईएल के अनुरोध पर विचार किया गया था। समिति ने निम्नलिखित नोट किया** :

1. **फर्म डीटीए में एक नई परियोजना (सी**2 **कम्प्लेक्स) इंस्टाल कर रही है। परियोजना के संबंध में प्रस्तावित निवेश** 20,000 **करोड़ रुपए से अधिक है।**
2. **नया प्रस्तावित सी**2 **कम्प्लेक्स भारत में कार्यान्वित की जा रही एक अनोखी परियोजना है।**
3. **समिति ने अभिवेदन में उल्लिखित बिंदु को नोट किया कि लंबी पाइप लाइन से प्रेशर कम हो जाएगा और इस नई परियोजना के लिए प्रचालन और सुरक्षा से जुड़े संकट पैदा होंगे।**
4. **समिति ने** 1000 **करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं के शीघ्रता से कार्यान्वयन के लिए निवेश पर मंत्रिमंडल समिति के संबंध में उल्लिखित बिंदु को भी नोट किया।**

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में समिति ने निम्नलिखित शर्तों / सुरक्षोपायों के कार्यान्वयन के अधीन विचार के लिए अनुमोदन बोर्ड, वाणिज्य विभाग से मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से प्राप्त अनुरोध की सिफारिश करने का निर्णय लिया :

1. **एसईजेड क्षेत्र में पाइप रैक इस तरह इंस्टाल किया जाना चाहिए कि एसईजेड क्षेत्र के अंदर किसी भी रूप में मूवमेंट बाधित न हो;**
2. **पाइप तथा पाइप रैक के लिए एक अलग कलर कोड का अनुसरण किया जाना चाहिए ताकि इसे एसईजेड की अन्य पाइपों / पाइप रैक से अलग किया जा सके।**
3. **सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पाइप रैक के निर्माण के लिए तथा पाइप बिछाने के लिए किसी ड्यूटी फ्री एसईजेड सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका सुनिश्चय करने के लिए कंपनी को अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रावधान के अनुसार किसी जांच / पोस्ट आडिट के लिए सहमत होना चाहिए। कंपनी किसी स्वतंत्र सनदी इंजीनियर द्वारा प्रमाणन तथा निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा सत्यापन के माध्यम से निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का मिलान भी कर सकती है।**
4. **एसईजेड क्षेत्र की एकरूपता बनाए रखने के लिए पूरी लंबाई में पाइप रैक की फेंसिंग की जानी चाहिए। एसईजेड में रोड इंटरसेक्शन पर फेंसिंग की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए ताकि एसईजेड के अंदर फ्री मूवमेंट का सुनिश्चय हो सके।**

विकास आयुक्त, जामनगर एसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध अग्रेषित किया है।

तद्नुसार प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ix) अपने शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन के लिए मैसर्स विकास टेलीकाम लिमिटेड जो बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

24.54 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक अर्थात मैसर्स विकास टेलीकाम लिमिटेड अब मैसर्स पुणे डायनेस्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (पीडीपीपीएल) या इसकी पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को 100 प्रतिशत शेयरहोल्डिंग ट्रांसफर करना चाहता है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने उपर्युक्त अनुरोध पर अपनी टिप्पणियां प्रदान की है तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार करने के लिए इसकी सिफारिश की है (अनुबंध 29)।

तद्नुसार प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(x) बाटा नगर, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक मैसर्स बाटा इंडिया लिमिटेड तथा सह विकासक मैसर्स रीवर बैंक होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक मैसर्स बाटा इंडिया लिमिटेड द्वारा उपर्युक्त परियोजना में एक सह विकासक मैसर्स रीवर बैंक होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल है जिसे परियोजना के लिए अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करनी थी।

8 जून 2010 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने सह विकासक का कोई उल्लेख न करते हुए विकासक मैसर्स बाटा इंडिया लिमिटेड के लिए विमुक्तीकरण को मंजूरी प्रदान की थी।

तथापि, विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने विकासक एवं सह विकासक दोनों के संबंध में विमुक्तीकरण जारी करने के लिए अनुरोध किया है।

एसईजेड नियमावली के तहत सह विकासक के संबंध में अलग से विमुक्तीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि उसके एलओए को विकासक की वैधता तक वैध माना जाता है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विचार करने के लिए मामला अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(xi) सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए अलीबाग, रायगढ़, महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग एसईजेड के लिए मैसर्स मुंबई फ्यूचरिस्टिक इकोनॉमिक जोन प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में क्विप्पो इनफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट लिमिटेड) के अनुरोध पर पुनिर्विचार

250 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड को एलओए दिनांक 15 नवंबर, 2006 के माध्यम से सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद एलओए दिनांक 29 जनवरी 2010 के माध्यम से 15 नवंबर 2009 से नया सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके बाद दो बार वैधता अवधि बढ़ाई गई जो 15 नवंबर 2012 को समाप्त हो गई है। विकासक ने एसईजेड परियोजना के वर्तमान स्तर के बारे में सूचना प्रदान करते हुए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश की थी।

18 जनवरी, 2013 को आयोजित बैठक में विचार के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव रखा गया। बैठक का कार्यवृत्त निम्नानुसार है :

"विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने पाया कि आज तक परियोजना में कोई अवसंरचना विकास / वित्तीय निवेश नहीं किया गया है। तद्नुसार बोर्ड ने प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निर्णय लिया। अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि विकासक इस संबंध में अपेक्षित शर्तों का पालन हो जाने पर नए एलओए के लिए आवेदन कर सकता है।"

अब विकासक ने बताया है कि तत्काल निर्माण कार्य शुरू करने के लिए उन्होंने सन्निकटता के परिप्रेक्ष्य से 400 एकड़ (161.875 हेक्टेयर) पर परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है। चूंकि 325 एकड़ (131.523 हेक्टेयर) भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है, इसलिए सन्निकटता स्थापित करने के लिए केवल 75 एकड़ (30.351 हेक्टेयर) भूमि की आवश्यकता है जिसके लिए प्रलेखन का कार्य प्रगति पर है तथा भूस्वामियों के साथ बातचीत उन्नत चरण पर है। इसके अलावा वे परियोजना के लिए यूटिलिटी की गतिविधियों जैसे कि विद्युत, पानी एवं गैस तथा ग्राम सुधार की गतिविधियों पर 88 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर चुके हैं। इसके अलावा विकासक ने बताया है कि भौतिक अवसंरचना विकास जैसे कि फेंसिंग, लैंड साइट का विकास तथा प्रारंभिक ड्रेनेज डिजाइन, संपर्क सड़क आदि जो मास्टर प्लान का अंग हैं, के ब्यौरे तैयार हैं तथा बहुत शीघ्र शुरू किए जाएंगे। अत: कम से कम 30 सितंबर 2013 तक सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने तथा पिछले निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया (अनुबंध 30)।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड की सिफारिश की प्रतीक्षा है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 57.10 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) 19 अक्टूबर, 2012 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की 53वीं बैठक द्वारा मौजूदा एलओपी में यूरिया के निर्यात व्यापार को शामिल करने के लिए आवेदन अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स कंसोलिडेटेड कोबाल्ट केमिकल्स लिमिटेड जो केएएसईजेड की यूनिट है, की अपील

मैसर्स कंसोलिडेटेड कोबाल्ट केमिकल्स लिमिटेड ने केएएसईजेड में एक यूनिट स्थापित की है। यूनिट ने अपने पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 2012 के माध्यम से अपने मूल एलओपी दिनांक 19 अप्रैल, 1992 में ट्रेडिंग के लिए नई मद अर्थात यूरिया को शामिल करने के लिए विकास आयुक्त, केएएसईजेड के पास आवेदन किया।

यूनिट के प्रस्ताव को 19 अक्टूबर, 2012 को आयोजित केएएसईजेड की अनुमोदन समिति की 53वीं बैठक में रखा गया जहां इसे अस्वीकार कर दिया गया।

यूनिट ने अपने पत्र दिनांक 23 नवंबर, 2012 जो वाणिज्य विभाग में 22 जनवरी, 2013 को प्राप्त हुआ, के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध 31) में यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील की है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

******